234

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 1996 (फाल्गुन 11, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भोपाल का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री गौरीशंकर बिसेन, नानालाल पाटीदार, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, बालाघाट जिले के टीमकीटोला बांस डिपो में अग्निकाण्ड से क्षति होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोनी में दो बच्चों का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के सुरखी जलाशय से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद नगर में एक ट्रक चालक को लूटकर उसकी हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले के गढ़ी रेंज में सागौन वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, सागर में एक शराब ठेकेदार द्वारा गोली चालन किये जाने से कई लोगों के घायल होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के विद्युतीकरण कार्य में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री आवास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री ओंकार सिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट में फलदार वृक्षों की कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, मोती कश्यप, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना स्थित के.एस. उद्योग के प्रदूषण से कई लोगों एवं पशुओं की मृत्यु होने की ओर राज्यमंत्री पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, थावरचन्द गेहलोत, लालचन्द मित्तल, सदस्य, महू में एक पुलिस अधिकारी पर अपराधियों द्वारा गोली चालन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 295-अजजा के सदस्य श्री मांगीलाल आदिवासी को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल नगर के वार्ड क्रमांक-65 ग्राम मालीखेड़ी में -

(क) पुलिस चौकी कायम किये जाने ; तथा
(ख) चिकित्सालय में महिला एवं पुरुष चिकित्सक पदस्थ किये जाने ;

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले की तहसील पामगढ़ में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने ;

(3) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिदारी के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने ;

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम गहिरा में -

(क) हाई स्कूल खोले जाने ; तथा
(ख) विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने ;

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री पर्यावरण, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 3 सन् 1996) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय		मांग	विभाग
	(1)	मांग संख्या 01	सामान्य प्रशासन
2 घन्टे		मांग संख्या 02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या 28	राज्य विधान मंडल
		मांग संख्या 29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
		मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग
		मांग संख्या 78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
	(2)	मांग संख्या 13	कृषि
2 घन्टे		मांग संख्या 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
		मांग संख्या 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जिन कृषकों की भूमि-जोत ढाई एकड़ से कम है, उन्हें 200/- रु. माहवार पेंशन दी जाये."

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में भूमि स्वामी हक रखने वालों को इमारती लकड़ी, पंचायतों को बिक्री करने की छूट दी जावे तथा पंचायत मुख्यालय पर बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाये."

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश की राजधानी में तारा मंडल की स्थापना की जाये."

(4) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु शासकीय वन एवं राजस्व की भूमि को वृक्षारोपण के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को लीज पर दिया जाये."

(5) श्री लोकेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में जिन जिलों का सिंचाई प्रतिशत सात या उससे कम है उन जिलों में सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाये."

भोपाल :
दिनांक : 29 फरवरी, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा